

पत्रांक:-277 / 01 व्यख-सामान्य / 20

दिनांक:-05 / 04 / 2022

कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन सभी कार्यालयों में कार्यरत/तैनात सभी अधिकारी/कर्मचा कार्यालय दिवसों में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्यालय में उपस्थित होंगे तथा उपस्थिति पंजिका पर अपनी उपस्थिति दर् करेंगे। प्रत्येक कार्यालय में उपस्थिति पंजिका चैक करने/कराने का दायित्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का होगा।

कार्यालय में विलम्ब से उपस्थित होने एवं बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी ; विरुद्ध उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।




(प्रमोद कुमार)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर सचिव लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ स्टाफ आफिसर विभागाध्यक्ष कार्यालय।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
6. अधिशासी अभियन्ता आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को इस ज्ञाप की प्रति विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करने हेतु।
7. समस्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
8. समस्त कार्मिक, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।


प्रमुख अभियन्ता 05.04.22
AE